रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 1991/वैशाख 16, 1913
No. 273] NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 1991/VAISAKHA 16, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

नौ-वाहन पक्ष

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 1991

का.आ. 314(अ):—यतः आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद ने रिट याचिका सं. 3697 और 3698 दोनों 1990 की विजाग ट्रालर वर्कर्स यूनियन विशाखापत्तनम और आल इंडिया दीप सी फिशिंग टैक्नोक्रेट एसोसिएशन, विशाखापत्तनम बनाम केन्द्र सरकार

तथा अन्य में अपने दिनांक 17 सितम्बर, 1990 और इसके अतिरिक्त रिट याचिका सं. 2707 और 2708, दोनों 1990 की, में अपने दिनांक 15 अक्तूबर, 1990 के आदेश में यह निदेश दिया है कि वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उपर्युक्त यूनियनों और उनके नियोक्ताओं अर्थात् इस रिट याचिकाओं में प्रतिवादी कंपनियों के बीच विवाद के निर्णयन के लिए एक न्यायाधिकरण गठित किया जाए।

अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 150 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त विवादों के न्याय निर्णायन के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करती है जिसका मुख्यालय मुम्बई में होगा और भारत सरकार के भूतपूर्व संयुक्त सचिव तथा कानूनी सलाहकार, श्री जे. जी. सावंत को उक्त न्यायाधिकरण में नियुक्त करती है जो न्यायाधिकरण का अवार्ड केन्द्र सरकार को यथासंभव शीघ्र किन्तु किसी भी दशा में इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले प्रस्तुत करेगा।

[फा.सं. सी.-18018/3/90-एम.टी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 1991

S.O. 314(E).—WHEREAS the High Court of Andhra Pradesh at Hyderabad, by its order dated the 17th September, 1990 in Writ Petition Nos. 3697 and 3698 both of 1990—Vizag Trawler Workers Union, Visakhapatnam and All India Deep Sea Fishing Technocrat Association, Visakhapatnam versus Central Government and others and further order dated the 15th October, 1990 in Writ Petition Nos. 2707 and 2708 both of 1990, has directed that a Tribunal may be constituted under sub-section (1) of section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) for adjudication of the disputes between the above unions and their employers, i.e. respondent companies in these writ petitions.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 150 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal, with headquarters at Bombay for the adjudication of the said disputes and appoints Shri J. G. Sawant, Ex-Joint Secretary and Legal Adviser to the Government of India to the said Tribunal, who shall submit the award of the Tribunal to the Central Government expeditiously but in any case not later than the expiry of a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[File No. C-18018|3|90-MT]

ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991